न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 03/2022

अपीलांट –

1. भूराराम पुत्र मोटाराम
2. देदाराम पुत्र मोटाराम
3. रतनाराम पुत्र मोटाराम
4. अमराराम पुत्र भानाराम
5. शंकराराम पुत्र भानाराम
6. प्रेमाराम पुत्र भानाराम
7. रावताराम पुत्र भानाराम
8. पीराराम पुत्र भानाराम

जातियान कुम्हार निवासी ढूंढा पोस्ट कवास तहसील व जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. तहसीलदार बाड़मेर
2. कमलेश पुत्र नीम्बाराम
3. मूलाराम पुत्र नीम्बाराम
4. गंगाराम पुत्र सांगाराम
5. भीखाराम पुत्र सांगाराम
6. सीतादेवी पत्नी सांगाराम

जातियान कुम्हार निवासी ढूंढा तहसील व जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 636 दिनांक 21.12.2001 जो तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया गया।

उपस्थिति :–
1. श्री सुनील के मेराजा, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. रेस्पोडेंट सं. 2से6 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय।
3. रेस्पोडेंट सं. 1 प्रफॉर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 09.10.2024

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत ग्राम ढूंढा तहसील बाड़मेर के नामान्तरकरण सं. 636 पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 21.12.2001 के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा ढूंढा के खसरा संख्या 503, 460/1, 468, 536 रकबा क्रमशः 141–04, 11–00, 34–17, 65–18 कुल रकबा 252–19 बीघा भूमि अमरा, शंकरा, रावता, पेमा वीरा पि0 भाना, सांगा, कमलेश, मूला पि0 नीम्बा टीमों बेवा नीम्बा मोटा पुत्र हिमता

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.01.28 15:57:03 IST
Reason: SelfAttested

कौम कुम्हार सा0 देह खातेदार के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी। प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प कवास में आपसी सहमति विभाजन होने से तहसीलदार के आदेश की पालना में हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण सं. 636 दायर कर तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे दिनांक 21.12.2001 को स्वीकृत कर दिया। उक्त नामान्तरकरण स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह प्रथम अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 14.12.2021 को प्रस्तुत की गई है। इसके साथ ही अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

3. अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत अपील में मयाद पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।

4. हमने उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी। अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से निवेदन किया हैं कि अपीलांट्स व रेस्पोडेंट सं. 2से6 एक ही परिवार के सदस्य हैं जिनकी संयुक्त खातेदारी की भूमि पैतृक एवं खरीदशुदा कुल 252–19 बीघा आई हुई हैं। रेस्पोडेंट्स होशियार एवं चालाक प्रवृति के व्यक्ति हैं जिन्होने से राजस्व कार्मिकों से मिलकर प्रशासन गांवों के संग अभियान में उक्त संयुक्त खातेदारी की भूमि को मौके पर कब्जा–काश्त से प्रतिकूल छिपे तौर पर बंटवारा करने का तथ्य जाहिर कर अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 636 पारित करवाते हुए नक्शा में तरमीम अंकन करवा दिया। अपीलांट्स द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान में विभाजन हेतु कभी सहमति प्रकट ही नही की थी और न ही कभी सहमति बनी थी। अपीलांट्स द्वारा उक्त उल्लेखित सहमति विभाजन प्रस्ताव की प्राप्ति हेतु भरसक प्रयास किया किन्तु तहसील कार्यालय में ऐसी कोई विभाजन पत्रावली उपलब्ध नहीं होनेा अवगत कराया गया। हल्का पटवारी

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राज.)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.01.28 15:57:03 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा भी लिखित में इस आशय का जवाब दिया हैं कि नामान्तरकरण में जिस आदेश का उल्लेख किया गया हैं ऐसे कोई आदेश पटवारी के पास उपलब्ध नहीं हैं। रेस्पोडेंट्स द्वारा छिपे तौर पर किये गये उक्त विभाजन से पक्षकारान के कब्जा–काश्त के विपरित राजस्व अभिलेख में तरमीम हो गई हैं जिससे रहवासीय ढाणियां प्रभावित हो रही हैं, साथ ही अपीलांट्स को हिस्से में दी गई भमि पूरा बड़ा धोरा (रेत का टीला) हैं। इस प्रकार कब्जे–काश्त के विपरित होने से साथ ही भूमि के उपजाऊपन के हिसाब से भी बराबर विभाजन नहीं किया गया हैं। इसी प्रकार खसरा सं. 503, 460/1 व 536 तीनो खसरे सरकारी कटाण मार्ग पर आये हुए हैं इसके उपरांत भी अपीलांट्स को इन खसरों में मार्ग पर भूमि नहीं दी गई हैं, इससे अपीलांट्स के मार्ग के सुखाचार एवं विभाजन के सारभूत नियम को अनदेखा करते हुए नामान्तरकरण पारित किया गया हैं जो निरस्त योग्य हैं।

5. अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से प्रकट किया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण बिना किसी सक्षम आदेश के मौके व कब्जे से विपरित स्वीकृत किया गया है, जिसमें अपीलांट्स को सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया हैं। इसलिये अपीलांट्स को अपीलाधीन आदेश की जानकारी पूर्व में नहीं थी एवं अपीलांट्स भौतिक रूप से अपने पूर्व कब्जे अनुसार लगातार काबिज हें। अर्सा 6 माह पूर्व रेस्पोडेंट सं. 2से6 ने अपीलांट्स के कब्जे–काश्त में हस्तक्षेप कर अपना कब्जा करने को प्रयासरत हुए तथा रेस्पोडेंट्स द्वारा अपीलांट्स को राजस्व रेकर्ड में तरमीम होने के तथ्य बताये, तब अपीलांट्स को अपीलाधीन नामान्तरकरण की जानकारी हुई। सर्वप्रथम नामान्तरकरण में उल्लेखित सहमति विभाजन के प्रपत्र की नकलें प्राप्त करने हेतु दिनांक 27.04.2001 व उसके पश्चात तहसील कार्यालय बाड़मेर एवं हल्का पटवारी को कई आवेदन दिये, किन्तु लिखित में जवाब दिया कि विभाजन प्रपत्र रिकार्ड में नही हैं। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन नामान्तरकरण की नकल दिनांक 29.06.2021 को प्राप्त की तथा विभाजन प्रपत्र प्राप्त नहीं

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राज.)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.01.28 15:57:03 IST
Reason: SelfAttested

होने पर उक्त नामान्तरकरण के विरूद्ध मजबूरन यह अपील प्रस्तुत की गई हैं, जो जानकारी होने से अन्दर मयाद प्रस्तुत हैं। अपील पेश होने में जो देरी हुई हैं वह कोविड–19 वायरस के संक्रमण की स्थिति में लॉकडाउन होने से हुई हैं, जिसके लिये माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुओ मोटो रिट याचिका (सिविल) 03/2020 कें दिनांक 23.03.2020 द्वारा मयाद को फ्रिज करते हुए लॉक डाउन अवधि में व्यतीत परिसीमा को अन्दर मयाद माना हैं। इसके उपरांत भी अपील पेश करने में हुए इस सद्भाविक विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जा रहा हैं। अतः अपीलांट्स की यह अपील स्वीकार कर अपीलाधीन नामान्तरकरण सं. 636 दिनांक 21.12.2001 निरस्त किये जाने का आदेश फरमावें।

6. रेस्पोडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय सुना गया।

7. हमने अपीलांट्स के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा ढूंढा के खसरा संख्या 503, 460/1, 468, 536 रकबा क्रमशः 141–04, 11–00, 34–17, 65–18 कुल रकबा 252–19 बीघा भूमि अमरा, शंकरा, रावता, पेमा वीरा पि0 भाना, सांगा, कमलेश, मूला पि0 नीम्बा टीमों बेवा नीम्बा मोटा पुत्र हिमता कौम कुम्हार सा0 देह खातेदार के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी। प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प कवास में आपसी सहमति विभाजन होने से तहसीलदार के आदेश का हवाला देते हुए उसकी पालना में हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण सं. 636 दायर कर तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे दिनांक 21.12.2001 को स्वीकृत कर दिया। जहां तक प्रकरण में मयाद के प्रश्न हैं तो अपीलाधीन नामान्तरकरण दायर करने से पूर्व अपीलांट्स को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने का कोई तथ्य अभिलेखीय साक्ष्य में उपलब्ध नहीं हैं तथा अपीलाधीन नामान्तरकरण की प्रतिलिपि प्राप्त होने के पश्चात व्यतीत

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.01.28 15:37:03 IST
Reason: SelfAttested

समय कोविड–19 लॉक डाउन अवधि होने से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपर्युक्त उल्लेखित आदेश से शमनीय हैं। इस प्रकार अपील प्रस्तुत करने में जो विलम्ब हुआ हैं वह सद्भाविक हैं जिसे क्षमा कर अपील अन्दर मयाद शुमार किया जाना न्यायोचित हैं। अपीलाधीन नामान्तरकरण के कॉलम सं. 14 में अकित किया गया हैं कि "प्रशासन गांवों के संग अभियान केम्प कवास में आपसी सहमति विभाजन होने से श्रीमान तहसीलदार साहब के आदेश की पालना में नामान्तरकरण भरा गया।" इसमें तहसीलदार के आदेश सं./प्रकरण संख्या एवं दिनांक का कोई उल्लेख नहीं किया गया हैं। अधिवक्ता अपीलांट अनुसार अपीलांट्स की ओर से उक्त आदेश की प्रतिलिपि हेतु हल्का पटवारी एवं तहसील कार्यालय से सम्पर्क करने पर लिखित जवाब द्वारा अवगत कराया गया हैं कि उक्त विभाजन प्रपत्र रेकर्ड पर उपलब्ध नहीं हैं। इससे प्रतीत होता हैं कि बिना सक्षम प्राधिकारी के विधिसंगत आदेश, अपीलाधीन नामान्तरकरण दायर कर उसकी पुश्त पर विभाजन तरमीम प्रस्तावित की गई हैं तथा स्वीकृति अधिकारी द्वारा भी इस सम्बन्ध में दस्तावेजी जांच किये बिना ही नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर द्वारा इस तथ्य की पूर्ण जांच किये बिना ही नामान्तरकरण सं. 636 पर पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 21.12.2001 विधिसम्मत नहीं होने से बहाल रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा मौजा ढूंढा के नामान्तरकरण सं. 636 पर पारित आदेश दिनांक 21.12.2001 को अपास्त किया जाता हैं।

9. निर्णय आज दिनांक 09.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2025.01.28 15:57:03 IST
Reason: SelfAttested